न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 533-PBR-/2016 जिला–होशंगाबाद

श्री दिवाकर दीक्षित द्वारा आज दि. 15-2-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 15-2-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

दिवाकर दीक्षित 15-2-16

गेंदालाल पुत्र स्व. श्री गंगाराम राजपूत
निवासी–वार्ड नं. 8, शीतला माता मन्दिर के पास सिवनी मालवा जिला–होशंगाबाद (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1– नारायण सिंह पुत्र स्व. श्री गंगाराम राजपूत निवासी – किसान मोहल्ला वार्ड नं. 13 खिरकिया तहसील खिरकिया जिला हरदा (म.प्र.)

2– पार्वती बाई पुत्री स्व. श्री गंगाराम राजपूत पति कमल सिंह राजपूत
निवासी – प्रतापपुरा तहसील खिरकिया जिला हरदा (म.प्र.)

3– सरस्वती बाई पुत्री स्व. श्री गंगाराम राजपूत पति रघुनाथ सिंह निवासी – वार्ड नं. 15 खेडा छीपाबड़, तहसील खिरकिया जिला हरदा (म.प्र.)

4– दमयन्तीबाई पुत्र स्व. श्री गंगाराम राजपूत पति कमल सिंह राजपूत निवासी – नजरपुरा तहसील रहटगांव जिला हरदा (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 89/ 2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 01.02.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आवेदक एवं अनावेदकगण की पैत्रिक खानदानी स्वत्व की भूमि इनके मूल पुरूष गंगाराम आत्मज रामकरण राजपूत के नाम पर खसरा क्रमांक 57 रकवा 0.243 है0, खसरा क्रमांक 59 रकवा 0.308 खसरा क्रमांक 304 रकवा 0.049 है0, खसरा क्रमांक 413 रकवा 4.920 है, खसरा क्रमांक 505 रकवा 2.921 है0, खसरा क्रमांक 972 रकवा 0.267 है0 कुल रकवा 8.708 है0

(72)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 533 –पी.बी.आर./2016 जिला– होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
15-2-16	यह प्रकरण अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 01.02.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय को समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में यह आधार लिया है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया, जिला हरदा के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र.1 नारायणसिंह द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रकरण क्रमांक 89/2015–16 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपर आयुक्त, भोपाल द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 01.02.2016 पारित किया गया है, जिससे आवेदक को अपूर्णनीय क्षति हो रही है क्योंकि अनावेदक क्र.1 द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं ग्राम पटवारी से मिली भगतकर आवेदक के पीठ पीछे राजस्व निरीक्षक से अविधिवत आदेश दिनांक 15.03.1996 पारित कराकर पैत्रिक खानदानी भूमि पर अपना एवं माँ रामकली बाई का नाम अविधिवत रूप से दर्ज करवा लिया है, जो अधिकारिता विहीन होने से शून्य है। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया, जिला हरदा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी	

थीं, जो आदेश दिनांक 29.01.2016 से स्वीकार की जाकर मृतक गंगाराम के सभी वारिसानों गेंदालाल, नारायणसिंह व. गंगाराम, पार्वतीबाई, सरस्वतीबाई, दम्यन्तीबाई पुत्रीगण गंगाराम का नाम वादग्रस्त भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये है। इसके बावजूद अनावेदक क्र. 1 नारायणसिंह द्वारा उपरोक्त भूमि में से कुछ भूमि का विक्रय मोहिनी पत्नी ओमप्रकाश को कर दिया गया है और वह भूमि के विक्रय के प्रयास में है तथा भूमि को खुर्द-बुर्द करना चाहता है और यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश कायम रहता है तो निश्चित ही अनावेदक क्र.1 भूमि को खुर्द-बुर्द कर देगा। ऐसी स्थिति में यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है एवं अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 01.02.2016 निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रकरण का निराकरण गुण-दोषों पर तीन माह में करें।

सदस्य